न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–488 / 2026

C.N.R.No-UPGD01001492-2026

बांके आयु करीब 40 वर्ष पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम जमथरा, थाना कोतवाली देहात जिला गोण्डा।

————प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ————————————————————————**अभियोगी**

अपराध संख्या–257 / 2014
धारा–147, 148, 149, 457, 307, 382, 411, 120बी भा0दं0सं0
थाना–इटियाथोक, जिला–गोण्डा।

दिनांक–06.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त **बांके** ने मु0अ0सं0–257 / 2014, धारा–147, 148, 149, 457, 307, 382, 411, 120बी, भा0दं0सं0 थाना इटियाथोक, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। जो उसके पैरोकार श्रीमती अनीषा के शपथ पत्र से समर्थित किया गया है।

अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती ताराकुननिशां ने दिनांक 25.11.14 को समय 07.30 बजे थाना इटियाथोक जिला गोण्डा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 24 / 25.11.2014 की रात में लगभग 01.00 बजे अज्ञात बदमाश छत के रास्ते उसके घर में घुस आये और घर में रखा सामान एक तोला सोना, झुमकी, पांच तोला चांदी की पायल व पचार हजार रूपये चुरा ले गये। घटना के दौरान उसके पति हाजी लल्लन पुत्र अब्दुल रउफ जग गये और बदमाशों को रोका टोका, तो बदमाशों ने उन्हें मारकर गम्भीर रूपसे घायल कर दिया, जिससे उनकी स्थिति मरणासन्न है। बदमाशों के जाने के बाद उसने शोर किया, तो गांव के लोग आ गये और घायल लल्लन हाजी को अस्पताल ले गये।

वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक जिला गोण्डा में मु0अ0सं0 257 / 2014, धारा–147,148,149, 307, 457, 382, 411, 120बी भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आधार लिया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में न्यायालय से जमानत पर रिहा था बाद जमानत प्रार्थी स्वयं व जरिये अधिवक्ता हाजिर न्यायालय होता रहा। विगत कुछ दिन पूर्व प्रार्थी एक अन्य मुकदमें में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध हो गया जिस कारण प्रार्थी उक्त मुकदमें में हाजिर न्यायालय नही हो सका न ही प्रार्थी की जेल से तलबी ही हो सकी जिससे उक्त मुकदमे में प्रार्थी के विरूद्ध वारण्ट आदेश पारित हो गया। प्रार्थी ने जानबूझकर मुकदमें में गैरहाजिरी नही की है बल्कि प्रार्थी के जेल में निरूद्ध रहने के कारण गैर हाजिरी हुई है। प्रार्थी भविष्य में कभी गैर हाजिरी नही करेगा बराबर न्यायालय हाजिर होता रहेगा। प्रार्थी को मुकदमें में रंजिशन महज हैरान व परेशान करने हेतु फंसाया गया है वह पूर्णतया निर्दोष है। उक्त कथनो के आधार पर प्रार्थी ने उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध की गंम्भीरता के आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by NAMRATA AGRAWAL
Date: 2026.03.13 11:11:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर जेवरात चोरी करने तथा जागने पर घर वालों को मारने पीटने का आक्षेप लगाया गया है, जबकि अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाये गये आक्षेप से इनकार किया है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था परन्तु न्यायालय पर गैर हाजिर होने के कारण उसके विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया है। अभियुक्त ने अपनी अनुपस्थिति का कारण दूसरे मुकदमें में जेल में निरूद्ध रहना कहा है। अभियुक्त दिनांक 13.06.2025 से तलबी के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। जबकि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों परिस्थितियो के आधार पर अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **बांके** द्वारा मु0अ0सं0 257/2014, धारा 147, 148, 149, 307, 457, 382, 411, 120बी भा0दं0सं0 थाना इटियाथोक, जिला–गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–**488/2026 स्वीकार** किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Smt. Bacchi Devi vs. State od U.P. Neutrul Citation 2025:AHC 136034,** में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये की एक जमानत एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1– अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2– अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा आहूत किए जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान इस प्रकार के मामलों में संलिप्त नहीं होगा।

4– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवदेक बयान के समय, 313 दं0प्र0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

5– ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O.Code-UP2661
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1,
गोण्डा।

दिनांक 06.03.2026